

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)', जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अधिसूचना संख्या 15/11/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 जून 2017, जिसे 23 जून 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड-I में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जुलाई 2017, जिसे सा.का.नि 966 (अ), दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने, अधिसूचना सं. 07/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 जून 2020, जिसे दिनांक 19 जून 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के परिवर्धन के मामले में यह विनिश्चय करने के लिए जांच कार्य शुरू किया गया था कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जुलाई 2017, जिसे सा.का.नि 966 (अ) दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई) उत्पाद'

(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925 और 3926 के अंतर्गत आते हैं, पर भी लगाये जाने की आवश्यकता है या नहीं।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 07/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 जनवरी 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड-I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन आया है;
- (ii) 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' को विषयगत वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करने में जो मूल संवर्धन होता है वह सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे प्रतिपाटन नियमावली से संदर्भित किया गया है) में निर्धारित थ्रेशहोल्ड सीमा से बहुत कम है;
- (iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का यहां आयात बहुत ही सस्ते मूल्य पर हो रहा है;
- (iv) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का होने वाले आयात से चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगे वर्तमान प्रतिपाटन उपायों का प्रभाव कम होता जा रहा है;

और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 28 जुलाई 2017 जिसे सा.का.नि 966 (अ), दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाये गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर भी लगाये जाने की सिफारिश की है।

अतः अब प्रतिपाटन नियमावली के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिनकी विशेषता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है जो कालम (2) के तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कालम (11) विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कालम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तु काविवरण	विशेषता	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	'पॉलिटेट्राफ्लो रोइथिलिन (पीटीएफई) ' उत्पाद *	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2637	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	'पॉलिटेट्राफ्लो रोइथिलिन (पीटीएफई) ' उत्पाद *	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	रूस या चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	2637	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	3904, 3907, 3910,	'पॉलिटेट्राफ्लो रोइथिलिन (पीटीएफई) '	कोई भी	रूस या चीन जनवादी गणराज्य से	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2637	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	उत्पाद *		भिन्न कोई भी देश						
--	----------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

*इसमें शामिल हैं पीटीएफई उत्पाद या प्रसंस्कृत पीटीएफई घटक जिसमें वुश, रॉड, शीट, टेप, ट्यूब और थ्रेड सील टेप आदि आते हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर उपयुक्त अधिसूचना सं 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जुलाई, 2017, जिसे सा.का.नि 966 (अ), दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, द्वारा लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क जारी रहेगा (यदि इसके पहले वापस नहीं लिया जाता है, इसका अतिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख, वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फाइल संख्या 354/113/2020-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार